ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.13 से 31.3.16

भाग–एक

1 प्रस्तावना (क):–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त रहेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती नीलम कुमारी	1.4.13 से 22.1.16
2	श्री अमरीक सिंह राणा	23.1.16 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री रति सैणी	1.4.13 से 28.7.14
2	श्री शिव शंकर	29.7.14 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर के लेखाओं अवधि 1.4. 2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	2.36
2	7	खाता–ख से अर्जित ब्याज को खाता–क में अन्तरित न करना	0.76
3	8	अनुदानों को उपयोग न करना	12.68
4	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.81
5	10	पंचायत द्वारा क्रय किए गए सामान को स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज न करना	2.29
6	12	ट्रैक्टर ढुलवाई के रूप में संदिग्ध एवं अनियमित भुगतान	0.62

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 21.9.2016 से 24.9.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 9/14, 9/15 व 3/14, 8/14, 7/15 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.13 से 31.3.16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200/–बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अधियाचना संख्या–285 दिनांक 21.9.2016 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर द्वारा के0सी0सी0बी0 ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्या 287534 दिनांक 22.9.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को प्रेषित किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः–ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	61780.51	232146	293926.51	99543	194383.51
2014–15	194383.51	82664	277047.51	30833	246214.51
2015–16	246214.51	258917	505131.51	3670	501461.51

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर के अवधि 1.4.2013 से 31.3.16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	745366.01	2888698	3634064.01	2222290.00	1411774.01
2014–15	1411774.01	1797072	3208846.01	2073924.36	1134921.65
2015–16	1134921.65	2240114	3375035.65	2107119.00	1267916.65

4.1 बैंक समाधान विवरणः–

जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया है। अतः मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(i)	दिनांक 31.3.2016 को स्वः स्त्रोत का अन्तशेष	₹501461.51
(ii)	दिनांक 31.3.2016 को अनुदानों का अन्तशेष	₹1267916.65
	कुल योग	**₹1769378.16**

अन्तशेष का विवरणः– दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	निधि/शीर्ष	राशि	हस्तगत राशि	योग
1	20013012821	के0सी0सी0बी0 ऊना	सभा/तृतीय वित्तायोग	1047024.66	183.40	1047208.06
2	50051701800	के0सी0सी0बी0 ऊना	वित्तायोग	267822	30	267852
3	50051701946	के0सी0सी0बी0 ऊना	आवास योजना	12529	–	12529
4	50051702190	के0सी0सी0बी0 ऊना	अनुदान/सामान्य	409670	20	409690
5	8571450000300	एच0डी0एफ0 सी0 ऊना	आई0डब्लयू0एम0पी0	28850	–	28850
6	484479	डाकघर ऊना	–	60.74	–	60.74

7	6410	सी0वी0आई0 ऊना	–	875.36	–	875.36
8	50056911165	के0सी0सी0बी0 ऊना	आई0डब्लयू0एम0पी 0 अंशदान	2313	–	2313
			कुल योग	**1769144.76**	**233.40**	**1769378.16**

4.2 बचत खाते प्रस्तुत न करनाः–

सचिव ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अन्तिम शेषों के रूप में खाता संख्या 484479 डाकघर ऊना में ₹60.74 व बचत खाता संख्या 6410 सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ऊना में ₹875.36 की राशि जमा दर्शाई गई है लेकिन उक्त खातों की पास बुक अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई व चर्चा के दौरान बताया गया कि ये खाते पुराने खाते है। अतः उक्त खाते डाकघर ऊना व सम्बन्धित बैंक से अद्यतन करवाने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

4.3 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएगें और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियाँ और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जाएगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक पंचायत ने अपनी आय के स्त्रोतों की रोकड़ बही में कुछ अनुदानों की प्राप्ति को भी सम्मिलित किया गया था व शेष अनुदानों हेतु दो रोकड़ बहियाँ अलग से लगाई गई थी जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 बजट प्राकलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन

तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत राजस्व ₹2.36 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत सचिव अरनियाला अप्पर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत राजस्व ₹235935/– निम्नानुसार वसूली हेतु शेष थी।

(क) गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	34150	28750	62900	62000	900
2014–15	900	28750	29650	300	29350
2015–16	29350	28750	58100	–	58100

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार फार्म–10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित था। पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत गृहकर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) दुकानों से किरायाः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	166195	38400	204595	–	204595
2014–15	204595	53400	257995	22160	235835
2015–16	235835	98400	334235	156400	177835

अतः गृहकर व दुकानों के किराये की क्रमशः ₹58100 व ₹177835 कुल ₹235935 के राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

7 खाता (ख) के ब्याज ₹0.76 लाख को खाता (क) में अन्तरित न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष मास जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता–ख से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता–क में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है परन्तु ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर के खातों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निम्नानुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज ₹75876 को स्वयं संसाधनों के खाता–क में अन्तरित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त

प्रभाव से खाता–ख के बैंक खातों में अर्जित ब्याज को खाता–क में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

वित्तीय वर्ष	योजना	तेरहवें वित्तायोग	आई0 डब्लयू0 एम0पी0	आई0ए0वाई0	मनरेगा	आई0 डब्लयू0 एम0पी0 अंशदान	योग	बी0डी0ओ0 को भेजी गई राशि	शेष राशि
2013–14	3248	1183	1781	1836	1884	376	10308		
2014–15	15280	7264	5304	1005	1245	245	30343	3129	
2015–16	25264	6772	5591	488	–	239	38354		
योग	43792	15219	12676	3329	3129	860	79005	3129	75876

8 अनुदान ₹12.68 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1267916.65 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.81 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹481197 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर को क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 पंचायत द्वारा क्रय किए गए ₹2.29 लाख के सामान को स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय व जारी किए गए सामान की प्रविष्टियाँ स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹228597 का स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया, लेकिन उक्त सामान की स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्ति प्रविष्टियाँ नहीं की गई। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारेः–

ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर में संलग्न **परिशिष्ट–4** के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान ₹169080 के मस्ट्रोलों द्वारा मजदूरी का भुगतान विभिन्न विकास कार्यों को करवाने हेतु किया गया लेकिन करवाए गए विकास कार्यों के अनुमान/प्राकलन व वास्तविक रूप से निष्पादित किए गए कार्यों के मापन की माप पुस्तिकाए अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके फलस्वरूप करवाए गए कार्यों की वास्तविकता की जांच अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 ट्रैक्टर ढुलवाई के रूप में ₹0.62 लाख का संदिग्ध एवं अनियमित भुगतानः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि सामान्य रोकड़ बही से वाउचर संख्या 113 दिनांक 19.3.14 द्वारा श्री रजनीश कुमार, अरनियाला अप्पर को स्टोन क्रैशर बैरी से कार्य स्थल तक 48 ट्राली ₹1300 प्रति ट्राली की दर से सामान की ढुलवाई के रूप में ₹62400/– का भुगतान किया गया दर्शाया है लेकिन रसीद में यह उल्लेखित नहीं है कि क्या सामान व कितनी–2 मात्रा में ढुलवाया गया है। सामान का विवरण, खपत व मात्रा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तविक रूप में कितनी मात्रा में क्या–क्या सामान/सामग्री क्रय की गई है सामान का विवरण, मात्रा व खपत के अभाव में ढुलवाई के रूप में ट्रैक्टर मालिक को दर्शाया गया भुगतान संदिग्ध एवं अनियमित प्रतीत होता है। अतः क्रैशर से सामान की ढुलवाई

से सम्बन्धित वाँछित अभिलेख सामान की मात्रा एवं विवरण सहित आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि सामान की मात्रा खपत एवं विवरण के साथ ट्रैक्टर मालिक को ढुलवाई के रूप में किए गए भुगतान को उचित ठहराया जा सके व मात्रा से अधिक दर्शाए गए ट्राली की एवज में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्भव हो सके।

13 उचित बिलों के बिना रसीदों पर ₹0.84 लाख का भुगतान व स्थानीय फेरों के रूप में ₹0.12 लाख का संदिग्ध भुगतानः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि योजना/अनुदान व तेरहवें वित्तायोग की रोकड़ बही से निम्नविवरणानुसार विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत दिनांक 22.7.2015 को श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री रणवीर सिंह, अरनियाला को ₹84454 का भुगतान किया गया है।

योजना/अनुदान रोकड़ बही

क्र0सं0	वा0सं0/दि0	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य (₹)
1	5/22.7.15	रेत	7 ट्राली	1000	7000
		स्थानीय फेरों (Local Trip)	21	450	9450
		पानी टैंक	5	500	2500
		सीमेंट ढुलवाई (जलग्राम से अरनियाला)	100 बैग	–	1000
		लोडिंग/अनलोडिंग	100 बैग	6	600
		मिक्सचर किराया	11	350	3850
		जनरल मिक्स रेत फिलिंग	3	1000	3000
		स्थानीय चक्कर सीमेन्ट (Local Trip)	2	–	615
				योग	**28015**
2	6/22.7.15	रेत	12 फेरे	1000	12000
		रेत (स्थानीय चक्कर)	4	350	1400
		गटका बजरी बजरी 20 एम0एम0	10 16	350 30	3500 5600
		शटरिंग चक्कर	2	500	1000
		सीमेंट किराया	3	500	1500
		लोडिंग/अनलोडिंग	250	6	1500
		स्थानीय फेरे (Local Trip)	5	300	1500
		पानी टैंक	6	200	1200
				योग	**29200**
		तेरहवें वित्तायोग रोकड़ बही			
3	3/22.7.15	रेत	7 चक्कर	1000	7000
		गटका 40 एम0एम0	5½ चक्कर	400	2200

		बजरी 20 एम0एम0	5½ चक्कर	400	2200
		सीमेंट ढुलवाई (जलग्राम से अरनियाला)	1 चक्कर	1000	1000
		लोडिंग/अनलोडिंग	100 बैग	6	600
		मिक्सचर किराया	13	350	4550
		पानी टैंक	4	500	2000
		भूमि भरवाई (earth filling)	8 ट्रॉली	500	4000
		मिक्स रेत	3	1000	3000
		स्थानीय फेरे (Local Trip)	2 फेरे	–	689
					27239
	क्रम संख्या 1 से 3 तक का कुल योग (28015+29200+27239)				**₹84454**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है जिनका निराकरण किया जाए।

(i) उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 3 पर उल्लेखित भुगतानों को सफेद कागज पर रसीद बनाकर भुगतान किया गया है जबकि उक्त भुगतानों को करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति/ठेकेदार/ट्रैक्टर मालिक से सामान के क्रय एवं ढुलवाई/किराया से सम्बन्धित उचित बिल प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त भुगतानों से सम्बन्धित व्यक्ति/ट्रैक्टर मालिक से उचित बिल प्राप्त करके सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना को नकारे जाने के अतिरिक्त कृत भुगतानों की सत्यता की सत्यापना सम्भव हो सके।

(ii) उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 3 पर उल्लेखित स्थानीय फेरों (Local Trip) के रूप में क्रम संख्या 1 पर 21 फेरों हेतु ₹9450 क्रम संख्या 2 पर 5 फेरों हेतु ₹1500/– व क्रम संख्या 3 पर 2 फेरों हेतु ₹689 कुल ₹11639 का भुगतान ट्रैक्टर मालिक को किया गया है लेकिन बिल/रसीद में यह उल्लेखित नहीं है कि उक्त स्थानीय फेरों के रूप में क्या सामान व कितनी मात्रा में लाया गया। सामान की खपत, विवरण व मात्रा के अभाव में 28 स्थानीय चक्करों के रूप में ट्रैक्टर मालिक को ₹11639 का दर्शाया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः 28 स्थानीय चक्करों के रूप में दर्शाए गए ₹11639 के भुगतानों को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए। कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 ₹300 का दुरूपयोगः–

(i) जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर द्वारा विभिन्न रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त आय से कम राशि रोकड़ बही में दर्ज करके निम्नविवरणानुसार ₹150 का दुरूपयोग किया गया है।

क्र0सं0	दिनांक/माह	रसीद नम्बर	प्राप्त राशि	दर्ज की गई राशि	कम दर्ज की गई राशि
1	19.6.13	100901 से 100958	8300	8250	50
2	6/13	100841 से 100845	550	450	100
		योग	**8850**	**8700**	**150**

(ii) रसीद संख्या 101291 माह 3/14 के दौरान ₹150 गृहकर के रूप में वसूली गई है लेकिन उक्त वसूली गई राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करके उसका दुरूपयोग किया गया है।

क्रम संख्या (i) व (ii) का कुल योग (150+150)=₹300

अतः उपरोक्त दुरूपयोग ₹300/–की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के दौरान क्रय सामग्री की मात्रा की मापन ईकाई को फुट व ट्राली के रूप में गलत दर्शानाः–

ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर द्वारा सामग्री के रूप में क्रय रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रविष्टियां ट्राली इत्यादि के रूप में दर्ज की गई व तदानुसार माप पुस्तिकाओं में कार्य का मूल्यांकन करते समय सम्पूर्ण सामग्री जैसे कि रेता, बजरी, बजरा व पत्थर इत्यादि को ट्राली इत्यादि के रूप में दर्शाया गया है। जोकि कार्य नियमों को गम्भीर अवहेलना होने के साथ–साथ अव्यवहारिक एवं आपत्तिजनक है। नियमानुसार रेता, बजरी, बजरा एवं पत्थर इत्यादि की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में ही माप जा सकता है व ट्राली/फुट के रूप में मापन असम्भव है। यहां यह भी उल्लेखित है कि निर्माण/मुरम्मत कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायक व ब्लॉक स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता की देख–रेख में निष्पादित किये जाते हैं।

16 टी0डी0एस0 की कटौती न करनाः–

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति, संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹30000/– से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000/– से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक विभिन्न व्यक्तियों, ठेकेदारों व फर्मों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है। जिसके कारण सरकारी कोष में टी0डी0एस0 के रूप में बहुत हानि हुई है। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

17 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर द्वारा नहीं किया गया जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत अरनियाला के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 (i) स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से एक उप समिति गठित करना अपेक्षित है। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रत्येक प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया है जोकि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67 (3) की गम्भीर अवहेलना है। अतः स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन उप समिति के गठन के बिना

करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय किए गए स्टोर (सामान) को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए। कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उपनियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अपेक्षित है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर द्वारा किसी भी निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना ही स्वयं करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय–11 के उप नियम 93 व पारदर्शिता नियमों की अवहेलना है। अतः प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यों को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार न करना

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह विकास कार्यों हेतु लाखों रूपये की सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर, सीमेन्ट, ईटें इत्यादि खरीदा गया, लेकिन माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार नहीं की गई जिसके फलस्वरूप इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि जिस कार्य हेतु प्राकलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामग्री खरीदी गई थी, क्या वास्तव में उतनी ही मात्रा में सामग्री का उपयोग हुआ था। अतः भविष्य में माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

20 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	—	103
4	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8	डाक रजिस्टर	24	61 (2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95 (1)

21 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अर्न्तगत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

23 निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(5) 18/2016—खण्ड—1—1193—1196 दिनाँक:22.02.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.